झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
(सड़क सुरक्षा)
एच0ई0सी0 अभियंत्रण छात्रावास सं0–2, धुर्वा, राँची।

अधिसूचना संख्या– परि0वि0(स.सु.)–17/2019...244... /राँची, दिनांक ...22/07/2019

।। अधिसूचना।।

केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 138 (4) (एफ) में निम्नानुसार प्रावधान :–

"(F) At the time of purchase of the two wheeler the manufacturer of the two wheeler shall supply a protective headgear conforming to specification prescribed by the Bureau of Indian Standards under the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986)

Provided that these conditions shall not apply to category of persons in terms of section 129 and the rules made thereunder by theconcerned State Government."

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 में यह प्रावधानित है कि "किसी वर्ग या वर्णन की मोटर सायकिल को चलाने वाला या उस पर सवारी करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जब किसी सार्वजनिक स्थान पर हो, ऐसा सुरक्षात्मक टोप (Helmet) जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के समरूप हो पहनेगा।"

उपरोक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि दो पहिया वाहन क्रय करते समय क्रेता को हेलमेट खरीदना होगा, जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हो। हेलमेट खरीदने के प्रमाण के बिना दो पहिया वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा।

अतः **"केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 138 (4) (एफ)"** एवं **"मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129"** वर्णित प्रावधानों के तहत झारखण्ड राज्य में भी दो पहिया वाहनों के क्रय के समय दो हेलमेट के, जो भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हो, मूल अधिकृत रसीद प्रस्तुत करने के बाद पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए इसका कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

22/07/19
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– परि0वि0 (स0सु0)–17/2019...244... /राँची, दिनांक...22/07/2019

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/07/19
परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– परि0वि0 (स0सु0)–17/2019...244....   /राँची, दिनांक...22/07/2019

प्रतिलिपि :– सचिव, Supreme Court Committee on Road Safety, भारत सरकार/सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा कोषांग), भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार/सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्त/पुलिस महानिदेशक/सभी उपायुक्त/सभी आरक्षी अधीक्षक/उपाधीक्षक, यातायात/राज्य सूचना पदाधिकारी, एन0आई0सी0, अभियंत्रण छात्रावास, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– परि0वि0 (स0सु0)–17/2019...244....   /राँची, दिनांक...22/07/2019

प्रतिलिपि :– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, परिवहन विभाग/परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव/संयुक्त परिवहन आयुक्त/संयुक्त परिवहन आयुक्त (सड़क सुरक्षा)/सभी उप सचिव/अवर सचिव, परिवहन विभाग/सभी उप परिवहन आयुक्त–सह–सचिव, झारखण्ड/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी मोटरयान निरीक्षक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

परिवहन आयुक्त
झारखण्ड, राँची।